राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 12 सितम्बर • 2019
www.rashtriyasahara.com

आक्रामक कूटनीति

भारत ने जम्मू-कश्मीर में एक ही दिन में दो मोर्चों पर सधी और आक्रामक कूटनीति से दुनिया को अपनी दृढ़ता का साफ संकेत दिया। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) इस मंशा से गया था कि भारत के खिलाफ किसी तरह का प्रस्ताव पारित कराने में सफल होगा तो उसे जबरदस्त मुंह की खानी पड़ी है। जिस तरह सुरक्षा परिषद में उसके साथ चीन को छोड़कर कोई नहीं आया लगभग वही हाल उसका मानवाधिकार परिषद में भी हुआ। भारत को पता था कि चीन झूठ का अपना पुराना राग आलापेगा। उसने एक बड़ा डोजियर परिषद को सौंपा भी, पर भारत की तैयारी भी पूरी थी। विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) विजय ठाकुर सिंह द्वारा परिषद की 42वीं बैठक के अपने संबोधन में पाकिस्तान का नाम लिये बिना उसे

झूठ की फैक्टरी और वैश्विक आतंकवाद का मुख्य केंद्र बता देना यकीनन हर भारतीय को गदगद करने वाला था। पाकिस्तान के पास इस उलट प्रहार का जवाब नहीं था कि समय आ गया है जब जीने के अधिकार जैसे आधारभूत मानवाधिकार के लिए खतरा बने आतंकी समूहों और उन्हें शह देने वाले देश के खिलाफ विश्व समुदाय सर्वसम्मति से निर्णायक फैसला ले। दुनिया से अपील थी कि सब चुप रहे तो यह आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसा होगा। परिषद के अध्यक्ष के एक दिन के बयान से उत्साहित पाकिस्तान को वहां से हाथ मलते लौटना पड़ा। किसी देश ने भारत द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने को आंतरिक मामला बताने का विरोध नहीं किया। दूसरी ओर, चीनी विदेश मंत्री वांग यी की इस्लामाबाद यात्रा के बाद जारी पाकिस्तान-चीन के संयुक्त बयान में कश्मीर पर भारत की कार्रवाई को एकतरफा बताने का जितना आक्रामक प्रतिकार भारत ने किया उसकी उम्मीद चीन को भी नहीं रही होगी। भारत ने पहले भी पाक अधिकृत कश्मीर में चीन पाक आर्थिक गलियारे और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध किया है किंतु इतनी मुखर लताड़ कभी नहीं लगाई थी जो आवश्यक हो गया था। विदेश मंत्रालय का सीधे कहना कि भारत के अभिन्न हिस्से में पाक और चीन अपनी परियोजना बंद करें, सामान्य बयान नहीं है। चीन, पाक अधिकृत कश्मीर में अपने स्वार्थ को देखते हुए जिस तरह की कुटिल नीति अपनाए हुए है, उसमें भारत के पास करारा हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भारत को पाकिस्तान व चीन, दोनों के प्रति अपनी दूरगामी रणनीति तय करके इसी तरह की आक्रामकता दिखानी होगी।

सुसंगत नीति

विदेश मंत्री एस जयशंकर का कथन कि हम एक संतुलित और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र चाहते हैं दरअसल, भारत नीति का ही प्रकटीकरण है। जयशंकर इस समय सिंगापुर में 'भारत-सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी का अगला चरण' कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। भारत पिछले कुछ वर्षों में पूरे समुद्र क्षेत्र में दूरगामी सामरिक रणनीति के तहत सक्रिय हुआ है और कई देशों के साथ उसने रक्षा सहयोग एवं रणनीतिक साझेदारी का समझौता किया है। इनमें इंडोनेशिया व सिंगापुर शामिल हैं। भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है-सुरक्षित समुद्रों से जुड़ा ऐसा एक मुक्त, समावेशी और संतुलित क्षेत्र जो व्यापार एवं निवेश से समन्वित हो और जहां कानून का शासन हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उस क्षेत्र के दौरों में ये बातें कई बार बोल चुके हैं। दुनिया देख रही है कि रणनीतिक महत्व के हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन वर्चस्व कायम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसका दबाव पूरे विश्व पर है। इससे क्षेत्रीय-अंतरराष्ट्रीय तनाव बढ़ा है।

सिंगापुर में भारत के विदेश मंत्री के वक्तव्यों का महत्व आसानी से समझा जा सकता है। जयशंकर ने कहा कि भू-राजनीति में न सिर्फ चीन का उदय हो रहा है, और अमेरिका व चीन के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही है, बल्कि इसी समय कई अन्य देश भी उभर रहे हैं और एशियाई सदी की चुनौतियों से निपटना अभी बाकी है। वास्तव में भारत ने 21वीं सदी को एशियाई सदी घोषित किया है। इसमें जापान और चीन के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों को साथ लिया है। अगर इसे साकार करना है तो फिर भारत ने जो सिद्धांत दिया है, उसे साकार करना ही होगा। किंतु चुनौतियां कम नहीं हैं। जयशंकर ने खुलकर इसी की चर्चा की। इस समय का खतरा यह है कि देशों के बीच तनाव और बहुपक्षवाद के कारण पिछले 50 बरसों में जो संस्थान स्थापित हुए थे, उनके प्रभावी बने रहने पर अनेक प्रश्न खड़े हो गए हैं। इस समय एक अनुकूल अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाने की कोई शक्ति नहीं दिख रही और न देशों के बीच इसे लेकर कोई समझौता ही है। चीन जिस तरह का धौंसपूर्ण व्यवहार पड़ोसी देशों के साथ कर रहा है, खासकर दक्षिण चीन सागर में वह बड़ी क्षेत्रीय-अंतरराष्ट्रीय चुनौती है। इसमें भारत की भूमिका इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि हमारे प्रभाव की स्थिति भी अंततः इन चुनौतियों के समाधान पर ही निर्भर है। इस नाते भारत की नीति पूरी तरह सुसंगत है।

कटाक्ष/ सहीराम

रूखी-सूखी या नून रोटी

अगर आप प्रभु के गुण गाना चाहते हैं तो उसके लिए तो रूखी-सूखी रोटी खाना ही सबसे उपयुक्त है। ऊपर से ठंडा पानी मिल जाए तो क्या कहने। इससे व्यक्ति की सात्विकता बनी रहती है। लेकिन अगर सरकार के गुण गाना चाहते हैं तो फिर नून-रोटी भी चलेगी। दोनों से ही उदात्तता की भावना का संचार होता है। कहीं कोई लालच नहीं, कहीं कोई विरोध, प्रतिरोध नहीं, कहीं कोई असंतोष नहीं।

आत्मतुष्टि का ऐसा संचार होता है कि या तो आदमी ऊपर वाले में लौ लगा लेता है, या फिर सरकार को वोट देने निकल पड़ता है। वोट देना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जहां नून आ गया तो समझो उसका हक तो अदा करना ही पड़ता है। रोटी को जरा-सा चुपड़ा हुआ देखा नहीं कि जी ललचा जाता है। लालच बुरी बला होती है। सरकार इस बारे में पूरी तरह सजग रहती है। इसलिए वह चुपड़ी हुई कभी नहीं दिखाती, ललचाती नहीं है। वह रूखी-सूखी देकर या नून-रोटी देकर तुष्ट करती रहती है, जिससे आत्मतुष्टि बनी रहती है। पर इधर रूखी-सूखी को तो कोई याद ही नहीं कर रहा। सब नून-रोटी की बात कर रहे हैं। मतलब यह कि अब का प्रभु से ध्यान हटकर सरकार पर ध्यान लग गया है। यह ध्यान वैसे नहीं लगा है जैसे प्रभु में लगता है, यह तो नजर लगने की तरह लगा है। इसके अपने खतरे हैं। एक तो इससे इन आध्यात्म टाइप की चीजों में सांसारिकता की घुसपैठ हो जाती है। सरकार घुसपैठ के पूरी तरह खिलाफ है। दूसरे अब इसकी सीख तो दी जा सकती है कि रूखी-सूखी खाए के ठंडा पानी पी। प्रचारक सिर्फ वैसे ही नहीं होते न जिस तरह के प्रचारकों का आजकल बोलबाला है। आखिर, तो धर्म प्रचारक भी होते ही हैं न। पर नून-रोटी की बात करने का गलत अर्थ निकल सकता है। इसे सरकार के खिलाफ प्रचार माना जा सकता है, जो आगे जाकर देशविरोधी प्रचार भी कहला सकता है। अगर आपने नून-रोटी का वीडियो बना लिया तो जेल जाने से आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए नून-रोटी का जिक्र करना आजकल उचित नहीं है। लोग नून का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। उसे रोटी का साथी बनाने की बजाय जख्मों पर छिड़कने लगते हैं। अब कुछ जख्म तो सरकार के भी होते ही होंगे। नहीं क्या? इसलिए उन पर नून मत छिड़किए। नून का सिर्फ रोटी के लिए इस्तेमाल कीजिए और आत्मतुष्ट रहिए।

अनमोल वचन

संसार में ऐसा कोई नहीं है, जो मनुष्य की आशा का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है और वह कभी भरती नहीं -वेदव्यास

कितने तमाचे खाएगा?

पाकिस्तान

प्रमोद जोशी

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के बयान से पाकिस्तान के मुंह पर जोर का तमाचा लगा है। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाए जाने के बाद से भारतीय राजनय की दिलचस्पी इस मामले पर ठंडा पानी डालने और जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य बनाने में है, वहीं पाकिस्तान की कोशिश है कि इसपर वितंडा खड़ा किया जाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे उठाया जाए। उसका प्रयास है कि कश्मीर की घाटी में हालात सामान्य न होने पाएं। इसी कोशिश में उसने एक तरफ अपने जेहादी संगठनों को उकसाया है, वहीं अपने राजनयिकों को दुनिया की राजधानियों में भेजा है।

पाकिस्तान ने जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में इस मामले को उठाकर जो कोशिश की थी वह बेकार साबित हुई है। एक दिन बाद ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के बयान से पाकिस्तान को निराश होना पड़ा है। गुटेरेश का कहना है कि जम्मू-कश्मीर का मसला भारत-पाकिस्तान आपस में बातचीत कर सुलझाएं। उन्होंने इस मसले पर मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया है। अब इस महीने की 27 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के भाषण होंगे। उसके बाद पाकिस्तान को हंगामा खड़ा करने का कोई बड़ा मौका नहीं मिलेगा। वह इसके बाद क्या करेगा? यह सच है कि वहां हालात पूरी तरह सामान्य नहीं है, पर वैसे भी नहीं हैं, जैसे सन 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद हो गए थे। पाकिस्तान को यही बात परेशान कर रही है।

जिनेवा की बैठक से पाकिस्तान को बहुत उम्मीदें थीं, जो पूरी नहीं हुईं। व्यावहारिक सच यह है कि इस संस्था का अंतरराष्ट्रीय राजनय में अब वह महत्त्व नहीं है, जो कभी होता था। तब इसका नाम मानवाधिकार आयोग (कमीशन) था, अब यह परिषद (कौंसिल) है और 1946 में बना संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग नहीं है, बल्कि मार्च 2006 में बनी नई संस्था है। पिछले महीने चीन की मदद से सुरक्षा परिषद में इस मामले को उठाने में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। यह पाकिस्तानी राजनय की शिकस्त थी। उसने कश्मीर का मामला उठाया है, तो यदि सत्तर वर्ष की वैश्विक राजनीति पर गौर करें, तो पाएंगे कि कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र ने न्याय और कानून के नजरिए से देखा ही नहीं। शीतयुद्ध और राजनीतिक के गणित के कारण ब्रिटेन और अमेरिका ने इसे राजनीति का विषय बनाया। विचार इस बात पर होना चाहिए था कि कश्मीर का विलय नियमानुसार हुआ या नहीं। देखना यह भी चाहिए था कि अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कबायलियों ने हमला बोला था, क्या वह गलत नहीं था

बलूचों, पश्तूनों और पाक अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकारों के सवाल भी उठे हैं। जिनेवा में बैठक स्थल के बाहर जहां पाकिस्तान समर्थकों ने भारत विरोधी पोस्टर और बैनर लगाए थे, वहीं पाकिस्तान की आलोचना करने वाले पोस्टरों और बैनरों की तादाद बहुत ज्यादा थी। ऐसे पोस्टरों में बड़ी संख्या में पश्तूनों के अपहरण का मामला भी था और सिंध में अत्याचारों की जानकारियां। 'पाकिस्तान जनसंहार बंद करो' जैसे नारे भी वहां लगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जिनेवा में कहा कि जम्मू कश्मीर में लोग बुरे दौर का सामना कर रहे हैं। उन्होंने 'जनसंहार' शब्द का इस्तेमाल भी किया, जबकि सच यह है कि पिछले एक महीने में वहां पुलिस की गोली से एक भी आंदोलनकारी की मौत नहीं हुई है। अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव का बयान उसके मुंह पर तमाचा है।

कुरैशी को जवाब देते हुए भारतीय प्रतिनिधि विजया ठाकुर सिंह ने कहा कि हमारे आंतरिक मामले में कोई देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पाकिस्तान खुद आतंक का केंद्र है और दुष्प्रचार कर रहा है। मानवाधिकार परिषद में बहस के ठीक पहले चीन और पाकिस्तान के एक बयान का भी भारत के विदेश मंत्रालय ने जोरदार जवाब दिया है। पाकिस्तान और चीन के एक संयुक्त बयान में कहा गया था कि कश्मीर में भारत की एकतरफा कार्रवाई का हम विरोध करते हैं। इसके जवाब में भारत ने कहा कि कश्मीर हमारा अंग है और चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को लेकर हमारी आपत्तियां हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दो दिन के पाकिस्तान दौरे में कहा कि कश्मीर विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप होना चाहिए। पाकिस्तानी नेता भी बार-बार कहते हैं कि इस समस्या का समाधान सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत करना चाहिए। यानी कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराना चाहिए। आज सत्तर साल बाद हम यह बात क्यों सुन रहे हैं? सन 1949 में ही समस्या का समाधान क्यों नहीं हो गया? भारत इस मामले को सुरक्षा परिषद में संरा चार्टर के अनुच्छेद 35 के तहत ले गया था। जो प्रस्ताव पास हुए थे, उनसे भारत की सहमति थी। वे बाध्यकारी भी नहीं थे।

अलबत्ता दो बातों पर आज भी विचार करने की जरूरत है कि तब समाधान क्यों नहीं हुआ और इस मामले में सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या रही है? सन 1948 से 1971 तक सुरक्षा परिषद ने 18 प्रस्ताव भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर पास किए हैं। इनमें प्रस्ताव संख्या 303 और 307 सन 1971 के युद्ध के संदर्भ में पास किए गए थे। उससे पहले पांच प्रस्ताव 209, 210, 211, 214 और 215 सन 1965 के युद्ध के संदर्भ में थे। प्रस्ताव 123 और 126 सन 1956-57 के हैं, जो इस इलाके में शांति बनाए रखने के प्रयास से जुड़े थे। वस्तुतः प्रस्ताव 38, 39 और 47 ही सबसे महत्त्वपूर्ण हैं, जिनमें सबसे अहम है प्रस्ताव 47, जिसमें जनमत संग्रह की पेशकश है। इस प्रस्ताव को लागू करने की शुरुआत पाकिस्तानी सेना और कबायलियों की वापसी से होनी थी। पाकिस्तान ने ही उसे स्वीकार नहीं किया, तो उसे लागू कैसे किया जाता? पाकिस्तान बुनियादी तौर पर जनमत संग्रह के पक्ष में था भी नहीं। नवम्बर 1947 में भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन पाकिस्तान गए थे और उन्होंने लाहौर में जिन्ना से मुलाकात करके उनसे पेशकश की थी कि कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ तीनों रियासतों में जनमत संग्रह के माध्यम से फैसला कर लिया जाए कि किसको किसके साथ रहना है। जिन्ना ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।

यदि हम सत्तर वर्ष की वैश्विक राजनीति पर गौर करें, तो पाएंगे कि कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र ने न्याय और कानून के नजरिए से देखा ही नहीं। शीतयुद्ध और राजनीतिक के गणित के कारण ब्रिटेन और अमेरिका ने इसे शुद्ध राजनीति का विषय बनाया। विचार तो इस बात पर होना चाहिए था कि कश्मीर का विलय नियमानुसार हुआ या नहीं। देखना यह भी चाहिए था कि अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कबायलियों ने हमला बोला था, क्या वह गलत नहीं था? बहरहाल सुरक्षा परिषद इस मामले को सुलझाने में नाकामयाब रही। सन 1965 के बाद से उसने कोशिश भी बंद कर दी है। अब पाकिस्तान का हित इसी बात में है कि वह अपना छायायुद्ध बंद करे और भारत के साथ बैठकर सहयोग और समझौते की बातें करें।

वन क्षेत्र
जहां सबसे अधिक वृक्ष हैं

रूस	69,894	ब्राजील	33,816
कनाडा	36,120	अमेरिका	22,286
		चीन	17,753

भारत की स्थिति
३,५१८ पेड़ों (करोड़ में) के साथ दुनिया में १७वें पायदान पर
२८ पेड़ प्रति व्यक्ति के साथ हम १२५ वें स्थान पर

स्रोत - नेचर

ट्विट

मोदी राज में सत्ता का जो नया स्वरूप बन रहा है, वह न तो परंपरागत अर्थ में लोकतांत्रिक है, न ही तानाशाही। उसे फासीवाद कहना गलत होगा। इसे 'मजमाशाही' कहना बेहतर होगा। यहां लोक विकृत होकर एक मजमे में बदल गया है। तंत्र या व्यवस्था विकृत होकर एक निरंकुश राज में बदल गई है।

योगेन्द्र यादव, राजनेता
@_YogendraYadav

बुनियादी सुविधाएं नाकाफी

कोर्ट परिसर | चंदन कुमार चौधरी

राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति (एनसीएमएससी) के हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक देश के 15 राज्यों की जिला अदालतों में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है, और मुकदमे की सुनवाई के लिए आने वाले लोगों के लिए बैठने की जगह और परिसर में कहां क्या है, यह बताने वाले संकेतकों तक की कमी है। समिति ने देश की 665 जिला अदालतों का सर्वेक्षण किया, जिसमें पाया गया कि देश की ज्यादातर अदालत परिसरों में शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं तक का भी अभाव है।

यह सर्वेक्षण अदालतों में सबसे बढ़िया सुविधाएं और कमी जानने के लिए किया गया था, जिसमें 90 फीसद सुविधा के साथ दिल्ली शीर्ष पर है, वहीं 26 प्रतिशत सुविधा के साथ बिहार सबसे निचले पायदान पर है। इतना ही नहीं आलम यह है कि इन जिला अदालतों में 6000 से ज्यादा न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। ऐसे समय में जब देश की जिला अदालतें न्यायाधीशों की कमी से जूझ रही हों उसी समय उन्हें बुनियादी सुविधाओं की कमी से भी दो-चार होना पड़े तो हालात ज्यादा भयावह हो जाते हैं। इससे न्यायिक प्रक्रियाओं में बाधा पहुंचती है। लोगों को न्याय मिलने में देरी होती है। सतही तौर पर देखने से भले ही बुनियादी सुविधाओं का अदालती कार्रवाई से कोई सीधा संबंध प्रतीत नहीं होता हो लेकिन इनके बीच गहरा अंतरसंबंध होता है। विशेषकर तब जब इस सर्वेक्षण से पता चले कि अदालत परिसर में अदालतें चलाने के लिए पर्याप्त कमरे तक उपलब्ध नहीं हैं, और न ही न्यायाधीशों के रहने के लिए पर्याप्त घर। मुंबई में 2248 न्यायाधीशों के लिए जहां केवल 1763 कोर्ट रूम हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में भी 885 कोर्ट रूम कम हैं। ऐसे में कहना कि इन बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती है, कहीं से भी सही प्रतीत नहीं होता। निश्चित रूप से कोर्ट रूम की कमी के कारण समय पर मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पाती और फिर न्याय मिलने में देरी हो जाती है। न्याय मिलने में देरी अन्याय ही होता है। न्याय पाने के लिए लोगों को सालों-साल अदालतों के

चक्कर काटने पड़ते हैं, और ऐसे में उनका काफी वक्त जाया होता है। जिला अदालतों में ऐसी स्थिति तब है, जब इनमें 2.8 करोड़ मामले लंबित हैं।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने गुवाहाटी में हाल में एक कार्यक्रम के दौरान अदालतों में मामलों के लंबित रहने पर चिंता व्यक्त की है। प्रधान न्यायाधीश के मुताबिक, हालात ये हैं कि भारत में एक हजार से अधिक मामले 50 साल से और दो लाख से अधिक मामले 25 साल से लंबित हैं, जबकि करीब 90 लाख लंबित दीवानी मामलों में से 20 लाख से अधिक ऐसे हैं, जिनमें सम्मन तक तामील नहीं हुआ है। अदालतों में 25 साल से पुराने मामलों की संख्या दो लाख से अधिक और एक हजार से अधिक मामलों का निपटारा 50 साल बाद भी ना हो तो स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। ऐसे में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव हो तो न्यायिक प्रक्रिया की रफ्तार सुस्त हो जाती है। इतना ही नहीं, सर्वेक्षण में शामिल इन 665 जिला अदालतों में से आधे से ज्यादा अदालत परिसरों में शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं तक का भी अभाव मिले तो बाकी सुविधाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। शौचालय नहीं रहने से अदालत परिसर में आने वाले लोगों खासकर महिलाओं को विशेष तकलीफ झेलनी पड़ती है।

अध्ययन में शामिल नौ मानकों में अदालत में आने-जाने की सुविधा, कोर्ट परिसर के अंदर दिशा सूचक, प्रतीक्षालय, स्वच्छता, बैरियर मुक्त प्रवेश, सुने जा रहे मामलों में डिस्प्ले की सुविधा, अदालत परिसर में मौजूद बुनियादी सुविधाएं, सुरक्षा और अदालत की वेबसाइट आदि में कमी की स्थिति देखी गई। अदालत जैसे सरकारी एवं सार्वजनिक स्थलों पर निश्चित रूप से बुनियादी सुविधाएं तो होनी ही चाहिए। अदालत के फैसले का लोगों के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है, और यह एक अहम मोड़ साबित होता है। अध्ययन समिति का गठन वर्ष 2012 में भारत के प्रधान न्यायाधीश और कानून मंत्रालय ने किया था।

अध्ययन समिति को अदालतों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की कमी का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार और संबंधित विभाग और न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी तमाम संबंद्ध संस्थानों को इस दिशा में सोचना चाहिए और अदालत आने वाले लोगों के समक्ष बुनियादी सुविधाओं को लेकर होने वाली असुविधाओं के समाधान के लिए तत्काल प्रयास किया जाना चाहिए। इससे न्यायिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में गति मिलेगी और लोगों को जल्द न्याय भी मिल सकेगा। यही वक्त का तकाजा भी है।

बेकारी | श्रीराम शर्मा आचार्य

कहावत है-'खाली दिमाग शैतान की दुकान।' यह उन सबके लिए है जो परिश्रम से जी चुराते हैं। पहले देश में राजा-रईस, अमीर-उमराव, जमींदार-साहुकार-महंत-मठाधीश बहुत थे। उनके पास आमदनी बहुत थी और नौकर-चाकरों के बलबूते पर उनका व्यापार चलता रहता था। काम का कोई उत्तरदायित्व सिर पर न होने से उनके पास समय बहुत बचता था। बचे समय का उपयोग आम तौर से खुराफात में होता था। बेकारी की समस्या इसीलिए खतरनाक नहीं मानी जाती कि उन दिनों आदमी कमाता नहीं वरन् मुख्यतया इसलिए उसे भयंकर मानते हैं कि बेकार आदमी को उत्पात ही सूझेंगे। बुराई का आज चारों ओर बाहुल्य है। बेकार आदमी सहज ही उस ओर आकर्षित होते हैं। कार्यव्यस्त व्यक्ति फुरसत न मिलने के कारण बुराइयों से बचा रहता है। बेकारी का कारण सदा काम का अभाव नहीं है। नौकरी के लिए दर-दर ठोकरें खाते फिरने वालों में से अधिकांश वे होते हैं, जो ऊंची आमदनी की, आरामतलब की, बिना मेहनत की नौकरी चाहते हैं, मेहनत-मजदूरी से जिन्हें अपनी और इज्जत घटती मालूम होती है। उनके लिए बाबूगीरी की नौकरियां मिलना मुश्किल हो सकती हैं, पर परिश्रम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है। ज्यादा पैसे का नहीं, बड़ा न सही, परंतु हर आदमी को हर जगह काम मिल सकता है और बहुत न सही, पर थोड़ा-सा तो वह कमा ही सकता है। थोड़ी भी कमाई न हो तो समय की बेकारी तो किसी काम में लगे रहने से बच ही जाती है। खुराफात में मन दौड़ाने का अवसर नहीं मिलता, यह भी क्या कुछ कम लाभ है? कहावत है कि 'कुछ न कुछ किया कर, कुछ न हो तो पाजामा उधेड़कर सिया कर।' बेकार बातों में वक्त गंवाने की से अच्छा है कि पाजामा उधेड़ने और सीने की कला का अभ्यास होता रहे और उस कार्य में हाथ सध जाए। कारीगरों की हर क्षेत्र में आवश्यकता है। देश में उद्योगधंधे बढ़ रहे हैं। उनमें कुशल कारीगरों की कमी को देखते हुए अच्छी आजीविका मिलने की गुंजाइश रहती है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। बाबूगीरी की अपेक्षा लोग मेहनतकश बनने को तैयार हों, तो उनकी शानशेखी में ही थोड़ी कमी हो सकती है, पर लाभ उन्हें भी होगा और सारे समाज को भी।

रीडर्स मेल

आधी-अधूरी कवायद

वाहन कानून को सख्ती से लागू करने से पहले उचित व्यवस्था बहुत जरूरी है ताकि क्रियान्वयन में कठिनाई न हो। इस कानून के कुछ ज्यादा ही सख्त होने और उचित व्यवस्था न होने से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बंगाल आदि राज्यों ने लागू ही नहीं किया और खुद भाजपा शासित गुजरात ने भी इस पर नरमी दिखाई है। वैसे तो केंद्र सरकार के तमाम कानून पूरे देश में लागू होने चाहिए क्योंकि ये मंथन के बाद बनाए जाते हैं। मगर लगता है इसे लागू करने से पहले कोई उचित तैयारी नहीं की गई, विस्तृत जन जागृति के लिए सही विज्ञापन नहीं हुआ, प्रदूषण जांच केंद्रों और कर्मचारियों की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं हुई।

वेद मामूरपुर, नरेला, दिल्ली

कानून का पालन हो

कई राज्यों में बच्चा चोरी की खबरों से लोगों में डर है। इसी कारण बच्चा चोरी की आशंकाओं में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें महज शक के आधार पर किसी की जान ले ली गई। ऐसी घटनाओं की जद में कई बार निर्दोष भी आ गए। ऐसे में, जरूरी है कि समाज अफवाहों से बचे। हमें यह गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या हमें कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए? बेहतर होगा कि इस तरह की सूचनाएं मिलने पर हम कानून की मदद से दोषी को सजा दिलाएं। इससे बेगुनाह नागरिक परेशान नहीं होंगे।

स्वामी मुरारी बाबा, सारण

जान है तो जहान है

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनियाभर में हर साल करीब 8 लाख लोग खुदकुशी करते हैं। इस हिसाब से हर 40 सेकेंड में एक व्यक्ति जान देता है। भारत उन देशों में शामिल है, जहां खुदकुशी की दर सबसे ज्यादा है। वैसे तो आत्महत्या की कोई विशेष उम्र नहीं है, लेकिन दुनियाभर में 15 से 29 साल के लोगों के बीच आत्महत्या, मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि नौजवान आत्महत्या की ओर अधिक बढ़ रहे हैं। आत्महत्या से मरने वालों की संख्या के ये आंकड़े बेशक डरावने हैं, लेकिन इस प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आत्महत्या के पीछे कारणों को सही से समझ कर उस दिशा में काम किया जाए।

प्रियंबदा, गोरखपुर

पाक में नारकीय जीवन

पृथ्वी पर नारकीय जीवन जीने का अनुभव पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को कुछ ज्यादा ही है। दिनदहाड़े घर से बेटियों का अपहरण हो जाता है, अगले दिन कोई मौलवी उन्हें किसी लड़के के साथ निकाह के बाद बनाये गए वीडियो बताकर कहता है कि तुम्हारी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया है। क्या गुजरती होगी उस परिवार पर हम और आप सोच भी नहीं सकते? आखिर कोई मानवाधिकार संगठन इस पर आवाज क्यों नहीं उठाता? बलूचिस्तान में सेना द्वारा होते अत्याचारों पर आंख बंद करते हुए, आतंकियों का पनाहगार बना यह देश एक दिन स्वयं आतंकियों की भेंट चढ़ जाएगा। यही नहीं इमरान खान की पार्टी के विधायक जिन्होंने भारत में शरण देने की अपील की है, उनका कहना है कि पाकिस्तान में न केवल हिंदू बल्कि मुसलमान भी बदतर हालात में हैं।

मंगलेश सोनी, धार, मध्य प्रदेश

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक सी बी सिंह द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
समूह संपादक - मनोज तोमर। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

वर्ष-29, अंक 10197 — आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2018-2020 — *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी